AMG-II(Non-PSUs)/निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/30/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के माह **सितम्बर 2019 से अगस्त 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय एवं श्री शम्भू कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री प्रतीक गोयल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **22/09/2020 से 01/10/2020** तक श्री विभाष मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 09/09/2019 से 26/09/2019 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह अप्रैल 2015 से अगस्त 2019 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेय जल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** के द्वारा पेयजल एवं सीवर से संबंधित निर्माण कार्य किया जाता है।

(ii) बजट

लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

रुपयें लाख में

वर्ष	2017-18		2018-19	2019-20	2020-21 (up to 08/2020)
प्रारम्भिक अवशेष		4592489.00	23223359.00	73503909.00	23042177.52
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	(क) केंद्राश	163690000.00	80369000.00	17000000.00	0.00
	(ख) राज्यांश	380685900.00	70494000.00	164006000.00	36522000.00
	(ग) ब्याज	760534.00	1564723.00	1976585.00	395372.00
	(घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	31241301.00	40051626.00	46192868.00
वर्ष में कुल उपलबद्ध राशि		549728923.00	206892383.00	296538120.00	106152417.00
वर्ष के दौरान कुल व्यय		526505564.00	133388474.00	273795941.00	59891585.00
अंतिम अवशेष		23223359.00	73503909.00	23042179.00	46260832.52

(iii) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

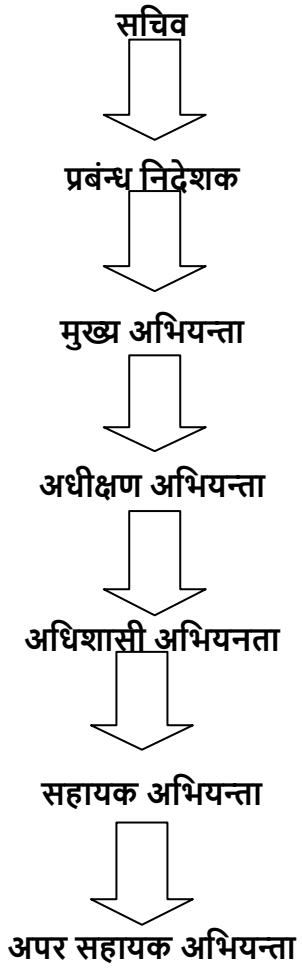

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह अगस्त 2020 का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 01- सीवर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण न किए जाने के फलस्वरूप एस॰ टी॰ पी॰ से सीवर संयोजन मे विफल रहने के कारण निष्फल व्यय ` 75.32 लाख।

जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत देहरादून सीवरेज योजना (जोन-H)के अंतर्गत जोन H,E3,A10, विजय कॉलोनी, जाखन, सुमन नगर, एवं सालावाला मे एस टी पी, सीवर कार्य, पम्प हाउस, विद्युत एवं यांत्रिक, रिटेनिंग दीवार, बाउंड्री वाल, साइट विकास एवं Approach रोड फॉर ब्रिज इत्यादि के कार्य संपादित किए जाने हेतु स्वीकृति सितम्बर 2011 मे ` 5465.00 लाख की प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त निर्माण योजना के अंतर्गत जाखन क्षेत्र मे निर्माण कार्यो हेतु `782.44 लाख की धनराशि का प्रावधान स्वीकृत था जिसमे से `167.00लाख लागत के सीवर पाइप के कार्य संपादित किए जाने थे। उपरोक्त निर्माण योजना से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सीवर पाइप के कार्यो के निष्पादन हेतु तीन अनुबंध `150.02 लाख के गठित किए गए थे जिनपर भुगतान सहित विवरण निम्नवत था:-

क्रम सं	अनुबंध संख्या	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल भुगतान
1	09/ई ई/2009-10	36.28 लाख	08.05.10	07.08.10	39.94 लाख
2	22/ई ई/10-11	5.17 लाख	31.12.10	29.04.11	20.43 लाख
3	21/एस ई /10-11	108.57 लाख	11.02.11	10.10.11	127.92 लाख
	योग	150.02 लाख			188.29 लाख

कार्यालय अधिशासी अभियंता, देहरादून शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून मे निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि जाखन क्षेत्र मे सीवर पाइप से संबन्धित कार्य निष्पादन हेतु `150.02 लाख के तीन अनुबंध के सापेक्ष ठेकेदारो को `188.29 लाख के भुगतान के उपरांत भी उक्त क्षेत्र मे एस पी एस (सीवर पम्पिंग स्टेशन) का निर्माण कार्य संप्रेक्षा अवधि तक लंबित रहने के कारण बिछाई गयी सीवर लाइन का मात्र 60 प्रतिशत ही 1.00 एम एल डी, एस॰ टी॰ पी॰ से जोड़ा जा सका था जबकि सीवर लाइन के कार्य समाप्त हुए 07 से 08 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी अवशेष 40 प्रतिशत सीवर लाइन संप्रेक्षा अवधि तक एस टी पी से जोड़ी नहीं जा सकी थी। जिसके कारण उक्त पर व्यय राशि ` 75.32 लाख का लाभ आमजनता को नहीं मिल पाने के कारण उक्त व्यय राशि निष्फल रही थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया कि उक्त क्षेत्र के कुछ भाग को एस टी पी से जोड़ने हेतु एस पी एस का निर्माण आवश्यक था जिस हेतु भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी

परंतु चिन्हित भूमि पर अवैध कब्जे के कारण एस पी एस का निर्माण नहीं हो सका था जिस हेतु प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है एवं कार्यवाही पूर्ण होते ही एस पी एस का निर्माण कर लिया जाएगा।

विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन एस पी एस निर्माण हेतु कृत कार्यवाही के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका था एवं विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान उक्त भूमि विवाद का संज्ञान लेते हुए पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर ही सीवर पाइप लाइन का कार्य निष्पादन किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की गयी थी जिसके फलस्वरूप सीवर पाइप लाइन डाले जाने के 07 से 08 वर्षो के उपरांत सीवर पाइप लाइन कार्य पर किया गया व्यय निष्फल रहा था।

अतः एस पी एस का निर्माण न किए जाने के फलस्वरूप एस॰ टी॰ पी॰ से सीवर संयोजन मे विफल रहने के कारण ` 75.32 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण शासन एवं विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(अ)

प्रस्तर02:- शासन से अनुपूरक/ पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना स्वीकृति से ₹14.44 करोड़ अधिक धनराशि का अनियमित रूप से कार्य निष्पादित किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड VI) में कार्यों के निष्पादन से संबन्धित पैराग्राफ 382 में यह प्रावधान है कि, जिस प्राक्कलन के सापेक्ष शासन से स्वीकृति प्राप्त हुआ है, उस प्राक्कलन में बिना शासन के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए कोई परिवर्तन या परिवर्धन, जिससे कि व्यय में वृद्धि होने की संभावना हो, नहीं करनी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत देहरादून सीवरेज योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा 15.01.2013 को ₹170.46 करोड़ की प्रदान की गई थी**,** जिसे पुनरीक्षित करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा 08.01.2016 को ₹190.64 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा 22.04.2019 को ₹190.64 करोड़ की प्रदान की गई। इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये 12 कॉलम प्रपत्र (08/2020) के अनुसार उपरोक्त कार्य के सापेक्ष माह अगस्त 2020 तक ₹190.64 करोड़ की प्राप्ति एवं ₹205.08 करोड़ व्यय दर्शाया जा रहा है अर्थात स्वीकृत राशि से ₹14.44 करोड़ अधिक व्यय दर्शाया जा रहा है, जो कि वित्तीय नियमों में दिये गए प्रावधानों के विपरीत है।

इस सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि, "उक्त योजना में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं माननीय विधायकों द्वारा, बिछाये गए सीवर लाईन में पूरी चौड़ाई में सड़क मरम्मत कार्य करने हेतु कहा गया और पूरी चौड़ाई में सड़क मरम्मत कार्य करवाया गया। सड़क मरम्मत हेतु उक्त प्राक्कलन में अल्प धनराशि स्वीकृत होने के कारण इस मद में वृद्धि हो गई। उक्त अतिरिक्त मद एवं कार्यों हेतु अनुपूरक प्राक्कलन गठन कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। 12 कॉलम के सम्बंध में अवगत करना है कि उक्त योजना में भुगतान स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत किया गया है। 12 कॉलम में दर्शायी गई लागत किये गए भुगतान एवं किये गए कार्यों की अवशेष देनदारियों को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है"। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त प्राक्कलन में सड़क मरम्मत कार्य हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि, यदि कम थी एवं इस मद पर अधिक धनराशि की आवश्यकता थी तब ऐसी स्थिति में पूरी चौड़ाई में सड़क मरम्मत कार्य निष्पादन करने से पूर्व, इकाई को अनुपूरक प्राक्कलन गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। जबकि इकाई द्वारा शासन से इस मद पर अधिक व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त किये बिना एवं यहाँ तक कि अनुपूरक प्राक्कलन गठित किए बिना ही, अनियमित रूप से पूरी चौड़ाई में सड़क मरम्मत कार्य निष्पादित करते हुये ₹14.44 करोड़ की देनदारी सृजित की गयी थी। यही नहीं शासन से इस कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति (जनवरी 2016) प्राप्त करते समय भी इकाई द्वारा इस मद में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं करायी गयी थी।

इस प्रकार शासन से अनुपूरक/ पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना इकाई द्वारा स्वीकृति से ₹14.44 करोड़ अधिक धनराशि का अनियमित रूप से कार्य निष्पादित करते हुये ₹14.44 करोड़ की देनदारी सृजित करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 01: ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान करते हुये अनियमित रूप से ₹195 लाख का अग्रिम प्रदान करना एवं विभाग को ₹ 1.85 लाख ब्याज का नुकसान होना।

डिपॉज़िट कार्य के अंतर्गत छावनी परिषद, क्लेमेन्टाउन, देहरादून में पम्प हाउस, नलकूप, उच्च जलाशय एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य किए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, पेयजल निगम को छावनी परिषद से ₹1561.73 लाख की स्वीकृति (दिसम्बर 2018) प्राप्त हुई थी। निगम द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु ₹ 1032.81 लाख का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक अनुबंध, मेसर्स एस0 पी0 अग्रवाल एण्ड कम्पनी के साथ गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 09.03.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 08.03.2020 थी। लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य प्रगति पर था। अनुबन्ध के GCC में secured advance / advance payment का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, परंतु GCC के क्लॉज़ 51.3 के अनुसार "The Engineer shall make advance payment in respect of materials intended for but not yet incorporated in the Works in accordance with conditions stipulated in the Contract Data". GCC के क्लॉज़ 43.2 के अनुसार site पर केवल pipe, valves, specials etc के supply and staking पर अनुबंधित मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने का प्रावधान था।

उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निगम द्वारा pipe, valves, specials etc के supply and staking पर ठेकेदार को 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान किए जाने के अतिरिक्त निम्न तालिका के अनुसार नियमविरुद्ध रूप से बिना कोई ब्याज एवं बैंक गारंटी के ठेकेदार को अग्रिम भुगतान किया गया था जबकि GCC के क्लॉज़ 51.1 के अनुसार ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम भी ठेकेदार द्वारा बैंक गैरंटी उपलब्ध कराने पर एवं 10 प्रतिशत ब्याज पर देय था।

Sl. No.	Advance payment			No of days
	Date	Amount (in ₹)	Adjusted on	
1	09.08.19	2500000	10.12.2019	62 days
2	10.12.19	4000000	18.12.2019	08 days
3	18.02.20	5000000	04.03.2020	15 days
4	10.06.20	4000000	14.08.2020	65 days
5	07.07.20	4000000		38 days

इस प्रकार इकाई द्वारा न केवल अनियमित रूप से ठेकेदार को ₹ 195 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया बल्कि इससे विभाग को ₹1.85 लाख[1] का ब्याज का भी नुकसान हुआ क्योकि advance के स्थान पर यदि ठेकेदार द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त किया जाता तो उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए धनराशि एवं दिन के सापेक्ष उसे GCC के क्लॉज़ 51.1 के अनुसार बैंक गैरंटी प्रदान करना होता एवं ₹1.85 लाख ब्याज का भी भुगतान करना होता।

इस सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि, "ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर किये गये कार्यों के विरुद्ध कार्यस्थल से संबन्धित अभियन्ताओं द्वारा पुष्टि के उपरान्त तथा उनकी संस्तुति के आधार पर अग्रिम भुगतान किया गया। दिये गये अग्रिम को अगले देयक से समायोजन किया गया। किये गये कार्यों के विरुद्ध भुगतान होने

[1] ₹42466 (Interest @ 10% on 2500000 for 62 days) + ₹ 8767 (Interest on 4000000 for 8 days) + ₹ 20548 (Interest on 5000000 for 15 days) + 71233 (Interest on 4000000 for 65 days) + 41644 (Interest on 4000000 for 38 days)

से धनराशि पर ब्याज का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता"। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि ऐसी स्थिति मे जब ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित किया गया हो परंतु किसी कारणवश माप-पुस्तिका में उसका माप दर्ज नहीं की जा सकी हो एवं ठेकेदार को भुगतान किया जाना आवश्यक हो तब माप-पुस्तिका में ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्यमदों का विवरण एवं साथ में 'work done but not measured' दर्ज करते हुये निष्पादित किये गये कार्यों का 75 प्रतिशत तक भुगतान किया जाता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में कार्यस्थल से संबन्धित अभियन्ताओं के माप-पुस्तिकाओं (482/L पृ.सं. 03, 481/L पृ.सं. 03 एवं 365/S पृ.सं. 151, 155 एवं 156)) में ठेकेदार को की गयी उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष कहीं भी ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण एवं 'work done but not measured' दर्ज नहीं पाया गया बल्कि सभी स्थान पर 'advance payment against CB No. 32/ SE/ 18-19' दर्ज किया गया है यही नहीं ठेकेदार के एक पत्र में सामग्री के सापेक्ष अग्रिम देने की बात भी कही गई है।

इस प्रकार इकाई द्वारा ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान करते हुये अनियमित रूप से ₹195 लाख का अग्रिम प्रदान करने एवं विभाग को ₹ 1.85 लाख ब्याज का नुकसान होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 02: निक्षेप कार्य निक्षेप जमा से अनियमित रूप से ₹ 85.77 लाख अधिक का कार्य निष्पादन।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर-580 के प्रावधान अनुसार किसी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, देहरादून शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के अभिलेखों (12 कॉलम प्रपत्र) के लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निक्षेप कार्य के अंतर्गत **"आईएसबीटी टर्नर रोड कार्य"** की स्वीकृत राशि ₹ **1188.00 लाख** थी जिसके सापेक्ष ग्राहक विभाग द्वारा आतिथि तक कुल `₹1156.57 लाख की धनराशि इकाई को अवमुक्त की गई परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक ` 1222.17 लाख की धनराशि व्यय किया जा चुका है जो कि स्वीकृत धनराशि से ₹34.17 लाख आधिक है तथा ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि से ₹ 65.6 लाख अधिक है एवं कार्य अभी भी अपूर्ण था जबकि कार्य की समाप्ति तिथि 12/2016 थी, एवं इसी प्रकार निक्षेप कार्य के अंतर्गत **"डालनवाला ड्रेनेज़ कार्य"** की स्वीकृत धनराशि कुल ` **230.00 लाख** थी जिसके सापेक्ष ग्राहक विभाग द्वारा कुल ` 100.00 लाख की धनराशि निगम को अवमुक्त की गई परंतु निगम द्वारा कुल ` 120.76 लाख की धनराशि का व्यय किया गया जो कि ग्राहक विभाग से अवमुक्त धनराशि से ` 20.76 लाख आधिक है। उक्त दोनों कार्य अभी भी अपूर्ण है जबकि कार्य की समाप्ति की तिथि 12/2016 थी ।

इस प्रकार इकाई द्वारा उक्त दोनों कार्य पर `(65.6+20.17)=कुल ` 85.77 लाख का ऋणात्मक व्यय/व्ययाधिक्य किया गया जो कि अनियमित था प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करवाए गए, जिसके लिए ग्राहक विभाग से अतिरिक्त कार्य हेतु धन की मांग की गई है। उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में इकाई का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, क्योकि निक्षेप कार्य के अंतर्गत इकाई को ग्राहक विभाग से जितनी धनराशि को स्वीकृति प्राप्त हुई है उसी धनराशि के अंतर्गत निष्पादित किया जाना था, यदि कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य कराया जाना आवश्यक था तो उसके लिए ग्राहक विभाग से कार्य निष्पादन से पूर्व स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त कर लेना चाहिए था जो कि इकाई द्वारा नहीं किया गया साथ ही इकाई द्वारा ग्राहक विभाग को अतिरिक्त कार्य हेतु धन की मांग से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उप्लबद्ध नही कराये गये ।

अतः उक्त दोनों कार्यों पर बिना ग्राहक विभाग से धनावंटन प्राप्त किए ` 85.77 लाख का अधिक कार्य निष्पादन कर अनियमित रूप से देनदारी सृजित किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर- 03: ठेकेदारो से रॉयल्टी वसूल न किए जाने के कारण ` 9.72 लाख की राजस्व हानि ।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 कीअभिसूचना संख्या 1578/VII/158/-ख/04टी.सी.-11 दिनांक 30 सितंबर 2016 के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्धति लागू की गयी । जिसके अनुसार राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा खनन से उपखनिजों के राज्य क्षेत्रांतर्गत परिवहन हेतु ई-फार्म एम एम-11 एवं भंडारण/क्राशर/स्क्रिनिग प्लांट से खनिजों के विधिपूर्ण परिवहन/अभिवहन हेतु ई-फार्म 'जे' का निर्धारण किया गया है ।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 26 मई 2016 की अधिसूचना द्वारा उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रॉयल्टी) की दर (नियम21) के क्रमांक-8 में विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रॉयल्टी की दर को `187 प्रतिघनमीटर (गौला नदी), `176 प्रति घनमीटर(कोसी, दाबका नदी) एवं ` **154 प्रतिघनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान)** पर निर्धारित है।

उपवर्णित शासनादेश के अनुसार रॉयल्टी की दरे फार्म एम एम-11 तथा फार्म 'जे' के सापेक्ष लागू है खनिजों का अभिवहन/परिवहन बगैर एम एम-11 तथा फार्म 'जे' के गैर विधिक है ऐसे में ठेकेदारों, जिसके पास फॉर्म एम एम-11 तथा फॉर्म 'जे' उपलब्ध नही है से उनके बिलो से निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर जो रॉयल्टी काटी जानी है, जो सरकार का राजस्व है, की पूर्ण रक्षा करते हुये विभाग/इकाई द्वारा रॉयल्टी की कटौती की जानी चाहिए ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, देहरादून शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के माह अगस्त 2020 की रोकड़बही एवं विस्तृत जांच हेतु चयनित कार्य की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार देयकों में रॉयल्टी के सापेक्ष फॉर्म 'जे' अथवा फॉर्म एम एम-11 संलग्न नहीं थे, फिर भी ठेकेदारों को किए गए भुगतान में से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप शासन को राजस्व की हानि हुयी, जिसका विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि ` में)

क्र. सं	दिनांक	अनुबंध संख्या	ठेकेदार	कार्य का नाम	देयक की धनराशि	वसूली योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	18.08.2020	02/AE-SAJWAN/2020-21	M/S SAKLANAND LAKHERA	CONSTRUCTION OF GATES OF PAYJAL NIGAM COLONY INDRANAGAR	980636.00	78363.00
2	28.08.2020	29/EE/2016-17	M/S HIMALAYAN CONSTRUCTION	CONSTRUCTION OF RBM	9274570	384076.00
3	27.08.2020	06/AE/2015-16	SANDEEP KUMAR	LAYING OF SEWER LINE&ITS APPARTMENT WORK AT VIJAY NAGAR COLONY STP	2698872	2275.00

4	27.08.2020	13/EE/2016-17	MR ENGINEERING	CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD	2861726.00	99330.00
5	18.08.2020	07/EE/2019-20	M/S SAKLANAND	LAYING OF PIPE LINE AND CAMPUS DEVLOPMENT WORKS	421669.00	10061.00
6	14.08.2020	32/SE/2018-19	SP AGARWAL&COM.	CANTONMENT BOARD CLEMENT SUPPLY SCHEME	14000551.00	372526.00
7	07.06.2020	32/SE/2019	SP AGARWAL&COM	Supply and laying and joining of pipe line and cons. of OHT, Pump House, Staff Quarter	9356942.00	25410.00
					योग	972041.00

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों से रवन्ना (फार्म एम एम-11 तथा फार्म 'जे') प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जाएगा। रवन्ना प्राप्त होते ही है तो लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं रवन्ना प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार से इंगित धनराशि की कटौती कर ली जाएगी। लेखा परीक्षा द्वारा उक्त प्रकरण पर लगाए गए आपति पर विभाग द्वारा स्वतः ही स्वीकार्य किया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	23/2007-08	02	-
2.	14/2009-10	01	1,2 एवं 3
3.	106/2012-13	-	1 एवं 2
4.	85/2015-16	-	3
5.	117/2019-20	01	1,2,3 एवं 4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग V

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए-

1. शून्य
2.

सतत अनियमितताये: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि मे निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालध्यक्ष का कार्यभार वहन किया।

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	ई.पल्लवी कुमारी	अधिशासी अभियंता	26.04.18 से 19.12.18
2	ई. सुमित आनंद	अधिशासी अभियंता	19.12.19 से 22.08.20
3	ई. दीपक मलिक	अधिशासी अभियंता	22.08.20 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, देहरादून शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए एम जी-2 को प्रेषित कर दी जाएगी।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II/NonPSUs

क्र. सं.	दिनांक	अनुबंध संख्या	ठेकेदार	कार्य का नाम	देयक की धनराशि	वसूली योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	18.08.2020	02/AE-SAJWAN/2020-21	M/S SAKLANAND LAKHERA	CONSTRUCTION OF GATES OF PAYJAL NIGAM COLONY INDRANAGAR	980636.00	78363
2	28.08.2020	29/EE/2016-17	M/S HIMALAYAN CONSTRUCTION	CONSTRUCTION OF RBM	9274570	384076
3	27.08.2020	06/AE/2015-16	SANDEEP KUMAR	LAYING OF SEWER LINE&ITS APPARTMENT WORK AT VIJAY NAGAR COLONY STP	2698872	2275
4	27.08.2020	13/EE/2016-17	MR ENGINEERING	CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD	2861726	99330
5	18.08.2020	07/EE/2019-20	M/S SAKLANAND	LAYING OF PIPE LINE AND CAMPUS DEVLOPMENT WORKS	421669	10061
6	14.08.2020	32/SE/2018-19	SP AGARWAL&COM.	CANTONMENT BOARD CLEMENT SUPPLY SCHEME	14000551	372526
				योग		**946631**